



कार्यालय संयोजक, नीट पीजी (मेडिकल/डेन्टल) प्रवेश मण्डल-2018
एवं प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक,
संलग्न चिकित्सालय, जयपुर (राजस्थान)

फोन.नं.- 0141-2619020 फैक्स नं.- 0141-2619171

ई.मेल-officeprincipalsmsmc@gmail.com

क्रमांक : एफ/एमसी/शैक्षणिक/स्टेट-पीजी/पीसीपीएनडीटी/18/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्रांक प.2(26)नि.चि.शि./सामान्य/पीसीपीएनडीटी/पार्ट-1/2014/3098 दिनांक 09.05.2017 की अनुपालना में चैयरमैन, नीट पीजी (मेडिकल/डेन्टल) प्रवेश मण्डल-2018 एवं प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक, जयपुर द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली की गजट अधिसूचना दिनांक 09.01.2014 के अनुसरण में 6 माह सोनोग्राफी कोर्स (पीसीपीएनडीटी एक्ट-1994 एवं नियम-2014) के तहत दिनांक 29.06.2018 को रिक्त सीटों पर निम्न अभ्यर्थियों को नीट पीजी-2018 की योग्यता सूची के अनुसार मेरिट कम प्राथमिकता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज आवंटन किया गया है :-

Sr. No.	Reg. ID	Name of Candidates	Category INS /NS	Allotted against	Category	NEET Score	Allotted College
1.	PM 3485	Dr. Om Prakash Tholiya	INS	NS	OBC	410	SN MC, Jodhpur
2.	PM 2011	Dr. Dharmendra Choudhary	INS	NS	OBC	402	SN MC, Jodhpur

उक्त अभ्यर्थी दिनांक 30.06.2018 तक अपनी रिपोर्टिंग आवंटित मेडिकल कॉलेज में प्रस्तुत कर फीस (20,000/-रु.) जमा करवाकर प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।

6 माह का सोनोग्राफी कोर्स का शैक्षणिक सत्र दिनांक 01.07.2018 से प्रारम्भ होगा।



चैयरमैन,

नीट पी.जी.काउन्सिलिंग-2018
एवं प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक : एफ/एमसी/शैक्षणिक/स्टेट-पीजी/पीसीपीएनडीटी/18/ 19337
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : 29/6/18

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, ग्रुप-1, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा
6. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अभ्यर्थियों द्वारा अपनी विशिष्टता में रिपोर्टिंग करने की सूचना इस कार्यालय को दिनांक 30.06.2018 को सांय 05.00 बजे तक ई-मेल के द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।
7. निजी सचिव, प्रधानाचार्य/अति निजी सचिव, अति प्रधानाचार्य (शैक्षणिक)।


प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक